



ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- 01364 - 233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 1828 / 12-1(2) दिनांक 20/02/2020::

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ।

विषय :- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.06 है० वन भूमि का गैर वनिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/8900/2014

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-08बी./यू०सी०पी०/06/46/2018/एफ०सी०/2540 दिनांक 29.03.2019।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने उनकी पत्र संख्या-08बी./यू०सी०पी०/06/46/2018/एफ०सी०/2540 दिनांक 29.03.2019 के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में जमा की जाने वाली धनराशियों का वित्तीय वर्ष परिवर्तन के कारण संशोधित डिमांड नोट निम्न प्रकार प्रेषित है-

- (1) शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन भूमि के बदले 4.12 है० ग्राम-जलई सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित वसूली वर्ष-2019-20 के लिये निर्धारित दर 306531.00 के अनुसार रुपये 4.12 ha. @ 306531.00 = 1262908.00 (बारह लाख, बासठ हजार, नौ सौ आठ) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।
- (2) शासन की शर्त संख्या-2 के अनुपालन में ऑन लाईन भरे गये प्रपत्र-भाग-2 के अनुसार प्रशानगत क्षेत्र इको क्लास-V के अन्तर्गत घनत्व 0.40 है० तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०-सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार रुपये 2.06 ha. @ 845000.00/ha. = 1740700.00 (सतरह लाख, चालीस हजार, सात सौ) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार आंकलित की गई धनराशियों का अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून कार्यालय से सत्यापित होने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या-4 के नियमानुसार उक्त आंकलित धनराशियों को जमा करना सुनिश्चित करें।

Amren

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।